(वाद संख्या–7885/17)

11.02.2021

परिवादी, बैद्यनाथ झा, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, मंडल कारा, समस्तीपुर के हिन्दू धर्म उपदेशक, बैद्यनाथ झा, के बकाया पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित है।

उक्त के संबंध कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार सरकार के महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कारा हस्तक–2012 के नियम 285 के प्रावधानानुसार ‘‘प्रत्येक मान्यता प्राप्त धर्म के लिए वास्तविक धार्मिक अनुदेशक को प्रत्येक कारा में सप्ताह में एक बार और होली, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद–उल–जोहा, मुहर्रम, क्रिसमस और गुड फ्राइडे जैसे विभिन्न धर्मों के मुख्य त्योहारों पर भी कारा में आने की अनुमति जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसके लिए प्रति कार्य दिवस की दर से मानक भत्ता, जो अधिकतम 400/– रुपये होगा, का भुगतान किया जाएगा।

परिवादी श्री झा द्वारा प्रतिमाह की दर से मानक भत्ता का भुगतान कराये जाने का दावा किया जा रहा है, जो कारा हस्तक नियम एवं विभागीय अनुदेश के अनुरूप प्रतीत नहीं है और न ही श्री झा द्वारा प्रतिदिन कारा प्रवेश का उल्लेख कारा गेट रजिस्टर में अंकित है। परिवादी, श्री झा को उनके लंबित दैनिक मानदेय से संबंधित साक्ष्य एवं अभिश्रव कारा में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उनकी ओर से किसी भी प्रकार का साक्ष्य या अभिश्रव समर्पित नहीं किया गया। कारा में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर परिवादी, श्री झा को दिनांक–05.07.2015 से दिनांक–24.04.2016 तक कुल 29 दिनों का प्रति कार्य दिवस 400/–रुपये की दर से 11,600/– रुपये का भुगतान कर दिया गया है।’’

परिवादी, श्री झा द्वारा 11,600/–रुपये प्राप्त करने से संबंधित तथ्य को राज्य आयोग के समक्ष स्वीकार किया जा रहा है तथा उनका यह भी कथन है कि उनकी ओर से कारा द्वारा भुगतान किये गये 11,600/– रुपये बकाया मानदेय के विरूद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा के समक्ष याचिका दाखिल कर चुनौती दी गयी, जो अस्वीकृत कर दी गयी है।

आज राज्य आयोग द्वारा परिवादी से उनके दावे के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण की मांग की गयी जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार सरकार के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक